

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 25)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना

श्रीवज्रमान बनाम "अशोक वर्मा"

आश्रीना-पत्र सं. 212 R.T. A नं० 330 सन् 2023

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
<p>18-9-23 आज यह आ० पत्र 212 R.T. A मुल काद के साथ पेश किया। इर्ज रजिस्टर हो। आश्री के वकील उप०। आश्री वकील की एक पक्षीम अहस सुनी गई। दस्तावेजात का सर्वप्रमाण किया गया। उद्यम दृष्टि से उचरणा बनला है। सुविधा का संतुलन व अपूर्णीति क्षति भी आश्री के पक्ष से होना उचित होती है अतः आगामी तारीख पेशी तक अजाश्रीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरीजा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आ० ख० न० हाल 984 रज० बा० 81 ई० को छोड़ कर डाबडवास तह० नीमराना जिला कोटपूतली बहरोड़ (राज०) के मौका व रिक्कोडकी मथास्थिति बनाने रखे। इस संबन्ध में जो भी उज्र हो तो आपसंग वजरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जबाब पेश करे। अजाश्रीगण/जस्मि रजि० कीरिस तलब हो। आश्री आगामी तिथि तक रजि० कीरिस तलवाना पेश करने में विफल रहते हैं तो उक्त अस्थाई अदालत मानजाबिगा/आपली वास्ति रजि० तलबी दिनांक 2-11-23 को पेश हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामिल में जारी हुए

२-११-२३ आज यह पत्रवाली पेश हुई। बार सप नीमराना द्वारा कार्य
रखान किये जाने का दायन पेश किया है। पत्रवाली पूर्व
आवेदन अनुसार अधिम कार्यवाही हेतु दिनांक 6-6-24
को पेश हो।
रीडर

6-6-24 आज यह पत्रवाली पेश हुई।
वकील गगनशिवत है। को समझ
चाहते है। पत्रवाली वास्ते दिनांक 20-7-24 को पेश हो।
उप जिला कलेक्टर
नीमराना (अलवर)

11-6-24 माता महे प्रोपत्र मूल
वाक्य के द्वारा पेश किया गया
वाक्य सिद्धांत पर प्रकाशित
हो चुका है। माता प्रोपत्र
भी प्रकाशित किया गया है।
पत्रवाली किमती मुकाबले
मामले के माता प्रोपत्र
मुझे सामान्य मूल वदने है।

Id byue
highly
Ad

उपरखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-करोड़)